

**छावनी बोर्ड के विभिन्न बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट की साधारण बैठक का कार्यवृत्त 03-08-2021 को 15.30 बजे
छावनी बोर्ड के कार्यालय में आयोजित, सेंट थॉमस माउंट**

उपस्थित सदस्य

1. ब्रिगे नरिंदर सिंह, अध्यक्ष
2. श्री.हर्षा, एच.ई, सदस्य सचिव
3. मनोनीत सदस्य – रिक्त

1. टिप्पण

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 134 के तहत प्रदान की गई निजी संरक्षण सेवाओं की समाप्ति के संबंध में परिचालन दिनांक 08-07-2021 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करने के लिए।

संकल्प सं. 01: विख्यात और स्वीकृत

2. बुजुर्गों को घर-घर सेवाएं प्रदान करने के लिए लैपटॉप की खरीद

डीजीडीई के पत्र संख्या 76/67/ई-छवानी/2021/वॉल्यूम-॥ दिनांक 07-07-2021 पर विचार करने के लिए और पीडीडीई पत्र संख्या 8078/ई-छवानी पोर्टल/कैट/द्वितीय/डीई दिनांक 08-07-2021 में सीबी को सूचित किया गया है कि वे कर्मचारी की टीम को डेटा कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप जारी करें ताकि बुजुर्ग लोगों को नागरिक सुविधा का लाभ उठाने के लिए डोर स्टेप सेवाएं प्रदान की जा सकें। ई-छावनी पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं जैसे लोक शिकायत निवारण, व्यापार लाइसेंस आवेदन, जल कनेक्शन, लीज नवीनीकरण, ऑनलाइन करों का भुगतान आदि।

उपरोक्त पर, 2 लैपटॉप की आपूर्ति के लिए नो जेम बिड नंबर GEM/2021/B/1355012 दिनांक 14-07-2021 के माध्यम से एक जेम बोली की मेजबानी की गई थी, जिसके जवाब में सात फर्मों ने बोली लगाई थी, जिनमें से मैसर्स एचटी कंप्यूटर, मैसर्स रिलायंस सिस्टम्स और मेसर्स एसएस सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस को वित्तीय बोली के लिए योग्य पाया गया है। वित्तीय बोली 30-07-2021 को खोली गई है। 2 लैपटॉप की खरीद के लिए रु.1,27,572/- खर्च करना पड़ता है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित फाइल को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं. 02: 2 लैपटॉप की खरीद के लिए रु.1,27,572/- की अनुमानित लागत पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के कर्मचारी की टीम, डीजीडीई / पीडीडीई के निर्देशों के अनुसार, छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के अधिकार क्षेत्र के भीतर बुजुर्ग लोगों के लिए डोर स्टेप सेवाओं की खरीद के लिए।

3. उपखंड

मारियापुरम, सेंट थॉमस माउंट में दरवाजा संख्या 12/13 वाली संपत्ति के लिए अलग से अपना नाम दर्ज करने का अनुरोध करने वाले निम्नलिखित आवेदकों पर विचार करने के लिए, संपत्ति कर के भुगतान के लिए श्रीमती वी.मैरी के नाम पर है। प्रत्येक व्यक्ति के भुगतान का वितरण इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	दरवाजा संख्या	नाम	ई.एआरवी	पी.एआरवी	टिप्पणियों
1	12/13	श्रीमती वी.मैरी	12840/-	-	-
2	12/13	श्रीमती वी.मैरी	-	5136/-	डबल्यू.ई.एफ. 01.04.2021
3	12/13-B	श्री एम जोसेफ रॉबिन	-	7704/-	

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं. 03: माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने संकल्प लिया कि एजेंडे में उल्लिखित बी-2 पट्टा भूमि पर संपत्तियों के उपखंड की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि यह विशुद्ध रूप से कराधान के उद्देश्य से है और अनधिकृत निर्माणों को मान्य नहीं करता है या अतिक्रमण, यदि कोई उक्त स्थल में शामिल है या तो पता चला है या पता नहीं चला है। बोर्ड ने आगे संकल्प किया कि उपखंड प्रदान करना छावनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आवेदकों द्वारा किए गए किसी भी अपराध को वैध बनाने के समान नहीं होगा और छावनी बोर्ड/रक्षा मंत्री/भारत सरकार के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

4. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 235 के तहत भवन निर्माण आवेदन

श्री सी राजेंद्र कुमार और श्रीमती विमला बाई, नंबर 3/36, माउंट पूनमल्ली रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 से प्राप्त भवन आवेदन (योजना) पर विचार करने के लिए प्रस्तावित विध्वंस के लिए अनुमति का अनुरोध करते हुए और डोर नंबर-3/36, माउंट पूनमल्ली रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 में भूतल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में आवासीय भवन का पुनर्निर्माण। जीएलआरएस नंबर 206 भाग, आरएस नंबर 439 भाग वाली विषय भूमि, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत, सेंट थॉमस माउंट, (वार्ड नंबर IV) में बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित है।

इंजीनियरिंग अनुभाग ने बताया है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण शामिल नहीं है। ईई/जेई की रिपोर्ट के अनुसार, भवन योजना भवन उपनियमों और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप है।

संबंधित फाइल और कार्यालय की रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं. 04: माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने छावनी अधिनियम 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजना को मंजूरी देने का संकल्प लिया, जो धारा के तहत शर्तों के अनुरूप है और छावनी बोर्ड के उपनियमों और अन्य लागू प्रावधानों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

5. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 235 के तहत भवन निर्माण आवेदन

संदर्भ: सीबीआर संख्या-12 दिनांक 26.03.2021.

श्री सी. कृष्णन, नंबर 39 ए, चक्रपाणि कॉलोनी, नॉर्थ परेड रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 से प्राप्त भवन आवेदन (योजना) दिनांक 15.03.2021 पर विचार करने के लिए प्रस्तावित विध्वंस के लिए अनुमति का अनुरोध और भूतल में वाणिज्यिक भवन (कार्यालय), प्रथम तल में वाणिज्यिक भवन और द्वितीय तल में आवासीय भवन का पुनः निर्माण।

सेंट थॉमस माउंट, (वार्ड नंबर IV) में बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित जीएलआरएस नंबर 200 भाग वाली विषय भूमि, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत।

इंजीनियरिंग अनुभाग ने बताया है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण शामिल नहीं है। ईई/जेई की रिपोर्ट के अनुसार, भवन योजना भवन उपनियमों और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप है।

उपरोक्त को देखते हुए मामला छावनी परिषद की बैठक में भेजा गया था और सीबीआर संख्या-12 दिनांक 26.03.2021 के माध्यम से बोर्ड ने भूतल में आवासीय भवन, प्रथम तल में आवासीय भवन और द्वितीय तल में आवासीय भवन के प्रस्तावित निर्माण के लिए विषय भवन योजना आवेदन को मंजूरी दी है।

हालांकि, यह प्रस्तुत करना उचित है कि 26.03.2021 को आयोजित बोर्ड की बैठक में विषय वस्तु को संदर्भित करते समय, टाइपोग्राफिक त्रुटि के कारण उद्देश्य का उल्लेख "भूतल में आवासीय भवन का प्रस्तावित निर्माण, पहली मंजिल में आवासीय भवन और" के रूप में किया गया था और दूसरी मंजिल में आवासीय भवन" के स्थान पर "प्रस्तावित विध्वंस" और भूतल में वाणिज्यिक भवन (कार्यालय), पहली मंजिल में वाणिज्यिक भवन (कार्यालय) और दूसरी मंजिल में आवासीय भवन (घर) का पुनर्निर्माण।

उपरोक्त के आलोक में, बोर्ड उक्त त्रुटि पर विचार कर सकता है और उद्देश्य के सुधार को "प्रस्तावित विध्वंस और" के रूप में अनुमोदित कर सकता है और भूतल में वाणिज्यिक भवन (कार्यालय), पहली मंजिल में वाणिज्यिक भवन (कार्यालय) और दूसरी मंजिल में आवासीय भवन (घर) का पुनर्निर्माण।

कार्यालय की रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं. 05: माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने छावनी अधिनियम 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजना को धारा के तहत शर्तों के अनुरूप स्वीकृत करने का संकल्प लिया और छावनी बोर्ड के उपनियमों और अन्य लागू प्रावधानों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

6. कैंटोनमेंट बोर्ड में मैसर्स कादंबरी निर्माण, चेन्नई के लिए ठेकेदार के रूप में अंतिम पंजीकरण

मैसर्स कादंबरी कंस्ट्रक्शन, कॉन्टैक्टर, नंबर 113/48-ए, धर्मन स्ट्रीट, जाफरखानपेट, चेन्नई-600 089 से प्राप्त पत्र दिनांक 18-03-2021 पर विचार करने के लिए बोर्ड को छावनी बोर्ड में अपनी कंपनी को पंजीकृत करने का अनुरोध करता है। ठेकेदार ने इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा दिए गए सभी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न किए हैं। ठेकेदार पंजीकरण का अनुरोध कर रहा है, क्योंकि उन्हें अन्य सरकारी एजेसियों द्वारा मंगाई गई निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह सूचित करना प्रासंगिक है कि उक्त ठेकेदार ने पिछले सात वर्षों से सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र, सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, आई.टी. निकासी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि जमा करके इस कार्यालय की निविदाओं में भाग लिया है और नीचे सूचीबद्ध विभिन्न प्रकार के सिविल इंजीनियरिंग कार्यों को संतोषजनक ढंग से निष्पादित किया है:

क्रम संख्या	निष्पादित निविदा कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष
1.	सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में विविध और लोक निर्माण	2013-2014
2.	सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में अस्पताल की मरम्मत	2014-2015
3.	सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में विविध और लोक निर्माण	2014-2015
4.	सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में विविध और लोक निर्माण	2015-2016

5.	सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में अस्पताल की मरम्मत	2016-2017
6.	सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में स्कूल की मरम्मत	2018-2019
7.	सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में विविध और लोक निर्माण	2018-2019
8.	सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में विविध और लोक निर्माण	2019-2020

इसलिए, बोर्ड इस मामले पर विचार कर सकता है और टीएन जीओ (एमएस) संख्या 221 दिनांक 16-08-2018 के अनुसार इस कार्यालय में या अन्यथा अस्थायी रूप से उक्त ठेकेदार (वर्ग -I) को पंजीकृत कर सकता है।

कार्यालय की रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं. 06: कैटोनमेंट बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के ठेकेदार (कक्षा I) के रूप में मेसर्स कादंबरी कंस्ट्रक्शन को अनंतिम रूप से पंजीकृत करने के लिए माना और अनुमोदित।

7. अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति

नीचे उल्लिखित कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अनुबंध समाप्त / समाप्त होने पर	मानदेय	नवीनीकरण की अवधि (डब्ल्यूईएफ)
1.	श्रीमती तमिल सेल्वी	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	1 महीना (01-08-21)
2.	श्रीमती अनीता सिंह.आर	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	1 महीना (01-08-21)
3.	श्रीमती अनीता सेल्वी.एस	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	1 महीना (01-08-21)
4.	श्री.मारी.पी	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	1 महीना (01-08-21)
5.	श्रीमती थेन्नाझागी	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	1 महीना (01-08-21)
6.	श्रीमती मीनाक्षी	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	1 महीना (01-08-21)
7.	श्रीमती साई ईश्वरी	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	1 महीना (01-08-21)

8.	एन.विजयलक्ष्मी	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	1 महीना (01-08-21)
----	----------------	---------------	------------	-------------	--------------------

उपरोक्त के संबंध में, प्रासंगिक दस्तावेजों को संदर्भ और अनुमोदन के लिए मेज पर रखा गया है।

संकल्प सं. 07: - दिनांक 01-08-2021 से एक माह की अवधि के लिए रु.18,560/- के मानदेय पर अनुबंध के आधार पर कार्यसूची पक्ष में उल्लिखित उपरोक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने पर विचार एवं अनुमोदन किया गया।

8. रचनात्मक सलाहकार की सगाई

छावनी बोर्ड को रिटेनरशिप के आधार पर पेशेवर रचनात्मक कला सलाहकार की नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना:-

यह कार्यालय स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लेता रहा है और स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य कार्यक्रम, केंद्र प्रायोजित योजनाओं आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करता है। इन कार्यक्रमों के लिए कार्यालय की वेबसाइट, सोशल मीडिया, पैम्फलेट, होर्डिंग बोर्ड आदि के माध्यम से रचनात्मक सामग्री का उपयोग करके उचित प्रकाशन/विज्ञापन की आवश्यकता होती है। ताकि इन दृश्य माध्यमों के माध्यम से जनता/निवासियों के बीच अधिक प्रभाव पैदा किया जा सके। इस कार्यालय को इस कार्यालय द्वारा की गई अन्य पहलों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से प्रकाशित/संप्रेषित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और जनता के लिए आकर्षक तरीका, क्योंकि इस कार्यालय के कर्मचारी रचनात्मक कार्यों के लिए आवश्यक कौशल / ज्ञान को संसाधित नहीं करते हैं। इसलिए, इस कार्यालय के लिए एक रचनात्मक कला सलाहकार को नियुक्त करना आवश्यक हो गया है, जो रचनात्मक तरीके से जनता को संवेदनशील बनाने के लिए विशिष्ट सामग्री/दृष्टिकोणों को डिजाइन करने में मदद कर सकता है ताकि अधिक से अधिक निवासी इस कार्यालय की योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत हो सकें। इससे सरकार के सामाजिक संदेशों को प्रभावी और रचनात्मक तरीके से जनता तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

जेम में आवश्यक कुशल जनशक्ति उपलब्ध नहीं है। साथ ही खुली निविदा के माध्यम से एजेंसी या सलाहकार को शामिल करना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक कार्यक्रम/पहल की आवश्यकता उस समय की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग होगी और रिटेनरशिप के आधार पर कुशल जनशक्ति की नियुक्ति की तुलना में यह महंगा होगा।

इस कार्यालय ने एक श्री देवेन्द्र नेगी बी.एफ.ए (एप्लाइड आर्ट्स) की पहचान की है, जिन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए परियोजनाएं की हैं और 11 महीने की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति माह की रिटेनरशिप फीस पर लगाया जा सकता है और छावनी बोर्ड के सभी रचनात्मक कार्यों के लिए अपनी सेवाओं का उपयोग करें।

इसलिए, बोर्ड मामले पर विचार कर सकता है और मंजूरी दे सकता है।

कार्यालय की रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं. 08: 11 महीने की अवधि के लिए छावनी बोर्ड को 15,000/- रुपये प्रति माह के रिटेनरशिप के आधार पर पेशेवर रचनात्मक कला सलाहकार की नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन। रचनात्मक सलाहकार के प्रदर्शन की 3 महीने बाद समीक्षा की जाएगी।

9. नार्थ परेड रोड, सेंट थॉमस माउंट में अस्थाई स्टॉल का आवंटन

संदर्भ: छावनी बोर्ड संकल्प (सीबीआर) संख्या 10 दिनांक 30.08.2018.

सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय ने राजस्व सृजन के लिए निविदा संख्या एसटीएम/आरईवी/1685 दिनांक 17.07.2018 के माध्यम से सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में अस्थायी स्टालों के आवंटन के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। निविदा 10.08.2018 को खोली गई और उच्चतम निविदाकर्ता का चयन किया गया और संदर्भ के तहत उद्धृत सीबीआर के तहत अस्थायी स्टालों को चलाने और बनाए रखने के लिए लाइसेंसधारी के रूप में सम्मानित किया गया।

जबकि, अस्थायी स्टॉल जो ज्योति थिएटर, नॉर्थ परेड रोड, सेंट थॉमस माउंट के सामने आवंटित किया गया था, को चिह्नित स्थान पर नहीं रखा जा सका क्योंकि सीएमआरएल द्वारा मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए जीएसटी रोड को पार करने के लिए एक फुटओवर ब्रिज का काम किया गया था और चिह्नित स्थान (सी भूमि) पर कब्जा कर लिया था।

इस कारण इस कार्यालय ने उत्तर परेड रोड, सेंट थॉमस माउंट में सार्वजनिक शौचालय के बगल में अस्थायी रूप से स्थान आवंटित किया है। लेकिन, चूंकि फुट ओवर ब्रिज के निर्माण में जनवरी 2020 तक देरी हुई थी, इसलिए उक्त अस्थायी स्टाल को उसके मूल स्थान (सी भूमि) पर वापस नहीं ले जाया जा सका।

जबकि, इस कार्यालय को पत्र संख्या 4022/165/सीबी/क्यू3एल दिनांक 22.02.2021 के माध्यम से स्टेशन मुख्यालय से पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें इस कार्यालय को नॉर्थ परेड रोड, सेंट थॉमस माउंट में अस्थायी स्टॉल को हटाने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि उक्त भूमि को वर्गीकृत ए-1 रक्षा भूमि किया गया है।

इस संबंध में इस कार्यालय ने अनुज्ञप्तिधारी को अस्थाई स्टॉल को वापस उसके मूल स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए पत्र भेजा था। लेकिन, लाइसेंसधारी ने इस कार्यालय से मलबा हटाने का अनुरोध किया है और निर्माण अपशिष्ट जो फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण चिह्नित स्थान (सी भूमि) में डंप किया गया था और भूमि को समतल करने का भी अनुरोध किया था।

इसके बाद कोविड-19 के कारण, काम नहीं किया जा सका और प्रतिबंध हटने तक A-1 भूमि में अस्थायी स्टॉल मौजूद रहा। अंत में, इस कार्यालय ने मंजूरी दे दी थी और दिसंबर 2020 में चिह्नित स्थान (सी भूमि) को समतल किया जिसके बाद अस्थायी स्टाल को वापस चिह्नित स्थान (सी भूमि) में रखा गया।

जबकि 27.01.2021 को सेना के जवानों ने डीईओ द्वारा भूमि सीमांकन और साफ-सफाई के मुद्दे का हवाला देते हुए सी-लैंड पर लगे अस्थाई स्टॉल को हटा दिया।

इसके अलावा, इस कार्यालय को अब श्री बाबू कृष्णमूर्ति, लाइसेंसधारी, अस्थायी स्टाल, सेंट थॉमस माउंट से अस्थायी स्टाल को फिर से खोलने के लिए एक पत्र मिला है, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

इस कार्यालय, एलएमए और डीईओ के प्रतिनिधियों द्वारा स्थल के निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि डीईओ कार्यालय द्वारा 'सी' भूमि की ठीक से पहचान करने के लिए भूमि का सीमांकन किया जाना है। डीईओ के प्रतिनिधि ने सूचित किया है कि नए सिरे से सर्वेक्षण करने में कुछ समय लगेगा और सीमांकन, क्योंकि उनका कार्यालय अन्य अनुसूचित सर्वेक्षण कार्यों में व्यस्त है। निरीक्षण के दौरान, एलएमए ने उपद्रव का हवाला देते हुए परिसर में दुकान खड़ी करने से परहेज करने का अनुरोध किया है और सुरक्षा मुद्दों और सभी छावनी बोर्ड के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि दुकान के कारण यातायात और सार्वजनिक उपद्रव के मुद्दे हो रहे हैं। अनुबंध के बिन्दु 16 के अनुसार शासकीय हित में कभी भी अनुज्ञप्ति को निरस्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाए। संबंधित दस्तावेज मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं. 09: बोर्ड ने 27.01.2021 से सरकार के हित में समझौते के बिंदु 16 के अनुसार लाइसेंस रद्द करने पर विचार किया और निर्णय लिया।

10. सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) के माध्यम से सैन्य संरक्षण के लिए 119 श्रमिकों को रोजगार

जीईएम के माध्यम से प्रकाशित निविदा पर विचार करने के लिए जीईएम/2021/B/1310812 दिनांक 26/06/2021 119 कर्मियों के लिए सैन्य संरक्षण के लिए नोटिस।

कार्यालय रिपोर्ट :-

वर्तमान में छावनी बोर्ड सैन्य संरक्षण कार्यों को करने के लिए दैनिक वेतन पर सीएल को नियुक्त कर रहा है। सैन्य क्षेत्रों में सैन्य संरक्षण के लिए 119 श्रमिकों के लिए 26/06/2021 को जीईएम में निविदा प्रकाशित की गई थी। प्रत्युत्तर में 65 बोलीदाताओं ने तकनीकी बोली में भाग लिया। विस्तृत जांच के बाद 22/07/21 को तकनीकी बोली खोली गई थी और समिति द्वारा मूल्यांकन और निम्नलिखित फर्मों को वित्तीय बोली खोलने के लिए योग्य पाया गया।

1. ईशा प्रोटेक्शन सेक्युरिटी गार्ड प्राइवेट लिमिटेड
2. श्री साई संस्था प्रोटेक्शन एजेंसी
3. यूके सिक्वोरिटी सर्विसेस
4. ठरू अँड सॉस
5. बेस्ट सिक्वोरिटी सर्विस

वित्तीय बोली 30/07/2021 को खोली गई और पाया गया कि 5 फर्मों द्वारा L1 दरों को उद्धृत किया गया है। जीईएम ने रु. 3,29,97,510 की बोली राशि के लिए सफल बोलीदाता के रूप में मेसर्स यूके सिक्वोरिटी सर्विसेज, चेन्नई का चयन किया है।

निविदा का पुरस्कार 2018 के डबल्यू.पी.नंबर. 21732 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया है और आदेश दिनांक 22.07.2021 के द्वारा, इस कार्यालय को ठेकेदार के माध्यम से 65 याचिकाकर्ता कर्मचारियों को नियोजित करने का निर्देश दिया गया है जब तक कि विफलता रिपोर्ट के मामले में उपयुक्त मंच द्वारा मांग पत्र का निर्णय नहीं लिया जाता है और यह स्पष्ट किया गया है कि, कर्मचारियों के रोजगार सुरक्षित हैं, भले ही अनुबंध में परिवर्तन हो, समान लाभों के साथ। साथ ही यह कार्यालय सरकार के निर्देशानुसार समय-समय पर नई निविदा के साथ आगे बढ़ने का हकदार है।

संबंधित दस्तावेज टेबल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं. 10: बोर्ड ने जेम के माध्यम से यूके सिक्वोरिटी सर्विसेज द्वारा उद्धृत न्यूनतम निविदा पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। 2018 के डबल्यू.पी.सं.21732 में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सफल निविदाकर्ता यानी यूके सिक्वोरिटी सर्विसेज ने 65 याचिकाकर्ता आकस्मिक कर्मचारियों को नियुक्त किया।

11. कोविड -19 के कारण राज्यव्यापी तालाबंदी की ओर छावनी पार्क में बैडमिंटन कोर्ट के लिए लाइसेंस शुल्क माफ
संदर्भ: 1. डीआईपीआर संख्या 219 और 227 दिनांक 18.04.2021 और 24.04.2021.
2. बैडमिंटन कोर्ट के लाइसेंसधारी से प्राप्त अनुरोध पत्र दिनांक 20.04.2021.

कोविड -19 के कारण राज्यव्यापी लॉकडाउन के लिए छावनी पार्क में बैडमिंटन कोर्ट के लिए लाइसेंस शुल्क में मुक्ति / छूट पर विचार करना।

चल रही महामारी कोविड -19 के कारण, राज्य सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति (संदर्भ -1 के तहत उल्लिखित) के माध्यम से सख्त लॉकडाउन दिशानिर्देशों को लागू किया गया था, जो 20 अप्रैल 2021 से प्रभावी था। इसलिए, कैंटोनमेंट पार्क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और पार्क के अंदर काम कर रहे बैडमिंटन कोर्ट को भी बंद कर दिया गया।

जबकि, अनुज्ञप्तिधारी ने उपरोक्त कारणों का हवाला देते हुए अप्रैल, मई, जून और जुलाई 2021 से लाइसेंस शुल्क माफ करने का अनुरोध करते हुए इस कार्यालय (संदर्भ-2 के तहत उल्लिखित) को पत्र प्रस्तुत किया है।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में बैडमिंटन कोर्ट के लिए लाइसेंस शुल्क की उपरोक्त स्थिति पर निर्णय और समाधान कर सकता है।

इस संबंध में संबंधित फाइलों को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं. 11: कोविड-19 के कारण राज्य व्यापी लॉकडाउन की ओर छावनी पार्क में बैडमिंटन कोर्ट के लिए 20-04-2021 से 31-07-2021 तक लाइसेंस शुल्क माफ करने पर विचार और स्वीकृति। राज्य सरकार द्वारा खेल सुविधाओं को खोलने की अनुमति दिए जाने तक सीईओ 01-08-2021 से लाइसेंस शुल्क माफ करने के लिए अधिकृत है।

sd/-
(ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह)
राष्ट्रपति छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवारम

sd/-
(हर्षा एच. ई)
सदस्य सचिव और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक :03-08-2021

अंत

-/वास्तविक प्रति/-

कार्यालय अधीक्षक
छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट कम
पल्लवारम